संख्या-19 /2019/452/12-5-2020-ब0-2/2020

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उ0 प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 08 अप्रैल, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष अनुदान संख्या-11 में कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी0ए0/01/वित्तीय स्वीकृति 2020-21, दिनांक 03 अप्रैल, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि विभाग की वचनबद्ध योजनाओं के लिए अनुदान संख्या-11 में कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के व्यय को वहन करने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू.115954.36 (रूपये ग्यारह अरब उन्सठ करोड़ चौवन लाख छत्तीस हजार मात्र) को निम्नानुसार योजनावार/मदवार आपके निर्वतन पर रखकर अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्षक		**प्राविधान वर्ष 2020-21**	**स्वीकृत धनराशि**
2401-फसल कृषि कर्म	मतदेय	85128.09	85128.09
	भारित	20.00	20.00
2402-मृदा तथा जल संरक्षण	मतदेय	29912.61	29912.61
	भारित	0.00	0.00
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा		893.66	893.66
कुल योग	मतदेय	115934.36	115934.36
	भारित	20.00	20.00
महायोग		115954.36	115954.36

(रूपये ग्यारह अरब उन्सठ करोड़ चौवन लाख छत्तीस हजार मात्र)

2. उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगें तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय-16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगें तथा इस सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा दिनांक 17.01.1979 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शासनादेश दिनांक 17.01.1979 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा।

3. उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि कोषागार से फेजिंग के आधार पर सुनिश्चित की जाये। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए समान रूप से की जाये।

4. व्यय प्रतिनिधानित अधिकारों की सीमा के अधीन ही किया जाये तथा जहां कहीं भी शासन की स्वीकृति व्यय हेतु आवश्यक हो उसे यथा समय प्राप्त किया जायेगा और व्यय को धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा।

5. समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों तथा व्यय बचत आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. कृषि विश्वविद्यालय हेतु व्यवस्थित धनराशि उनकों आवंटित की जाये तथा अनुदान का देयक जो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बनाया जायेग, वह कुलपति और अर्थ नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जायेगा। कृषि विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति अनुदान की धनराशि को आहरण के उपरान्त कृषि निदेशक को सूचित करेगें।

7. बी0एम0-13 के निर्धारित प्रपत्र पर मासिक व्यय विवरण समय से वित्त विभाग को उपलब्ध कराते हुए शासन के कृषि अनुभाग-5 को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

8. यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश उक्त शासनादेश में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक:- यथोक्त

भवदीय,
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव

संख्या-19/2019/452(1)/12-5-2020-ब0-2/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (आडिट/सिविल) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कुलपति, संबंधित कृषि विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0, द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0, द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
10. कृषि अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश शासन।
11. वेब मास्टर, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेशों को विभागीय/ शासन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
12. गार्ड फाइल।

संलग्नक:- यथोक्त

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।